मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: **आदेश** ::

भोपाल दिनांक 28 /07/2021

क्र. एफ 16-25/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि., द्वारा जिला धार में सीमेंट परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अंतर्गत सुविधाओं का विशेष पैकेज स्वीकृत करने संबंधी अभ्यावेदन प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 40 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में बिना किसी सीमा के शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को योजना अन्तर्गत प्रावधानित निर्यात एवं रोजगार गणक का लाभ शर्तो के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत शुल्क से छूट** - इकाई द्वारा लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर उत्पादन प्रांरभ दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

3. **सोलर पावर प्लांट हेतु विद्युत शुल्क से छूट** - सोलर पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की क्रियान्वयन नीति 2012 अनुसार विद्युत शुल्क से छूट शर्तो के अध्याधीन प्राप्त होगी।

4. **वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क से छूट** - परियोजना अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 10 वर्षो हेतु वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से उत्पादित विद्युत पर प्रभारित विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा इकाई को की जाये।

5. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तो के अध्याधीन प्राप्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-25/2019/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 28 /07/2021

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
6. कलेक्टर, जिला धार।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि., 'B' Wing, 2nd Floor, Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (E) Mumbai-400093।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग